भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2904
उत्तर देने की तारीख 13.08.2026

राजस्थान में स्मारकों का रखरखाव

2904. श्री मदन राठौड़ :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजस्थान की लोक कलाएं और विरासत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान रखती हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके संरक्षण हेतु कितनी केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है;

(ग) क्या ऐतिहासिक किलों एवं स्मारकों के रखरखाव एवं संरक्षण के लिए कोई नई परियोजनाएँ अनुमोदित की गई हैं;

(घ) क्या लोक कलाकारों को पेंशन एवं वित्तीय सहायता दी जा रही है; और

(ङ) क्या राज्य में सांस्कृतिक पर्यटन को और अधिक बढ़ावा दिया जाएगा?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख): भारत सरकार ने राजस्थान सहित अपने सदस्य राज्यों की लोक कला एवं संस्कृति के विभिन्न रूपों की संरक्षा, संवर्धन एवं परिरक्षण के लिए उदयपुर (राजस्थान) में पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र (डब्ल्यूजेडसीसी) की स्थापना की है। राजस्थान उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र (एनजेडसीसी), पटियाला और उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र (एनसीजेडसीसी), प्रयागराज का सदस्य राज्य है। ये जेडसीसी विभिन्न सांस्कृतिक कार्यकलापों एवं कार्यक्रमों का नियमित आधार पर आयोजन करते हैं जिसमें राजस्थान राज्य सहित अपने सदस्य राज्यों के लोक कलाकारों को सम्मिलित करते हैं।

इन सांस्कृतिक केंद्रों को राजस्थान सहित अपने सदस्य राज्यों में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और कार्यकलापों को आयोजित करने के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान जारी किया गया सहायता अनुदान निम्नानुसार है:

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	वर्ष	डब्ल्यूजेडसीसी, उदयपुर	एनजेडसीसी, पटियाला	एनसीजेडसीसी, प्रयागराज
i.	2023-24	1280.10	1067.79	3553.24
ii.	2024-25	1129.00	1129.00	3227.66
iii.	2025-26	1333.00	2914.87	1288.89

इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय द्वारा संचालित वैश्विक भागीदारी स्कीम के अंतर्गत विदेशों में भारत महोत्सव का आयोजन किया जाता है जिनमें प्रदर्शनियों, नृत्य, संगीत, रंगमंच, खान-पान महोत्सव, फिल्म उत्सव, योग आदि के माध्यम से राजस्थान की कला और संस्कृति सहित अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम और भारतीय कला को प्रदर्शित किया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत, इस मंत्रालय ने विदेशों में आयोजित किए जाने वाले भारत महोत्सव (एफओआई) में लोक कलाओं सहित विभिन्न कला रूपों की प्रस्तुति देने वाले कलाकारों/समूहों को पैनलबद्ध किया है। वर्तमान में, राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के 627 कलाकार/समूह मंत्रालय के पैनल में शामिल हैं।

इसके अलावा, राजस्थान की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व कालबेलिया, चार बैत, पगड़ी बांधना, मोलेला का हिंगन और फड़ आदि जैसी परंपराओं के माध्यम से किया जाता है और ये सभी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में सम्मिलित हैं। इस सूची का रखरखाव संगीत नाटक अकादमी (संस्कृति मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संगठन) द्वारा किया जाता है। इनमें से, कालबेलिया लोक गीतों और नृत्यों को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किए जाने के कारण वैश्विक मान्यता मिली है।

संस्कृति मंत्रालय अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक करारों, समझौता ज्ञापनों (एमओयू), सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों आदि पर हस्ताक्षर करते हुए वैश्विक स्तर पर भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देता है, जिसमें भारत की मूर्त और अमूर्त विरासत शामिल है।

(ग): भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) एकल स्मारकों की संरक्षण संबंधी आवश्यकताओं और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर, अनुमोदित वार्षिक संरक्षण कार्यक्रम (एसीपी) के माध्यम से राजस्थान में राष्ट्रीय महत्व के केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के संरक्षण और परिरक्षण का कार्य करता है। नए संरक्षण और रखरखाव के कार्य अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार और स्मारकों की संरक्षण प्राथमिकताओं के अनुरूप किए जाते हैं।

(घ): संस्कृति मंत्रालय 'वयोवृद्ध कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता' नामक स्कीम संचालित करता है जिसके तहत उन वयोवृद्ध कलाकारों और विद्वानों की वित्तीय और सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए अधिकतम **6000/-** रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिन्होंने अपनी सक्रिय कार्यावधि में कला, साहित्य आदि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण

योगदान दिया है या अभी भी योगदान दे रहे हैं, परंतु वृद्धावस्था के कारण स्थिर आय अर्जित करने में असमर्थ हैं।

संस्कृति मंत्रालय गुरु-शिष्य परंपरा (रेपर्टरी अनुदान) स्कीम भी संचालित करता है जिसके अंतर्गत मंच कलाओं की सभी शैलियों जैसे कि संगीत समूहों, नृत्य समूहों, बाल रंगमंच सहित रंगमंच समूहों, संगीत मंडलियों आदि के लोक कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्कीम के अंतर्गत, गुरु (समूह के प्रमुख) के लिए सहायता राशि 15,000/- रुपए प्रति माह है और शिष्य के लिए 2,000 से 10,000/- रुपए प्रति माह है, जो कलाकार की आयु के आधार पर तय की जाती है।

इसके अतिरिक्त, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार "विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति" नामक स्कीम संचालित करता है, जिसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य, रंगमंच, मूकअभिनय, दृश्य कला, लोक, पारंपरिक और स्वदेशी कलाएं तथा सुगम शास्त्रीय संगीत इत्यादि के क्षेत्र में भारत में उन्नत प्रशिक्षण के लिए 18-25 वर्ष के आयु वर्ग के उत्कृष्ट प्रतिभावान युवा कलाकारों को (एक बैच वर्ष में 400 छात्रवृत्तियों तक) 5,000/- रुपए प्रति माह की दर से 2 वर्षों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह छात्रवृत्ति चार बराबर छमाही किश्तों में जारी की जाती है।

इसके अतिरिक्त, सभी जेडसीसी अपने द्वारा आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यकलापों और कार्यक्रमों के लिए अपने सदस्य राज्यों के लोक कलाकारों को सम्मिलित करते हैं। इन कलाकारों को मानदेय, यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता, आवास और भोजन, स्थानीय परिवहन आदि हेतु भुगतान किया जाता है ताकि वे अपनी आजीविका जुटाने में सक्षम हो सकें।

(ड़): पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र (डब्ल्यूजेडसीसी), उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र (एनजेडसीसी) और उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र (एनसीजेडसीसी) अपने सदस्य राज्यों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करते हैं जिससे राजस्थान के कलाकारों और सांस्कृतिक समूहों को देश के विभिन्न भागों में प्रस्तुति देने और अन्य क्षेत्रों के कलाकारों को राजस्थान में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिलता है। इन कार्यकलापों में मारवाड़ उत्सव, लोकानुरंजन मेला, ऊंट उत्सव, मरु महोत्सव, पुष्कर मेला, बेणेश्वर मेला, कोटा महोत्सव राष्ट्रीय लोक महोत्सव-लोकरंग, शिल्पग्राम और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल हैं। ऐसे कार्यकलाप राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण, संवर्धन और व्यापक प्रसार में योगदान देते हैं।
